आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय कार्यपालक दण्डाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।

P.N. 40/18.4.19

आदेश

विविध वाद संख्या–03/2014

धारा 145 दण्ड प्रक्रिया संहिता

ललन सिंह उर्फ लखन महतो ———— प्रथम पक्ष

बनाम्

रामपुकार सिंह वगैरह ———— द्वितीय पक्ष

27.12.2018 यह वाद आवेदक ललन सिंह उर्फ लखन महतो पिता– स्व0 महीपत महतो ग्राम + पो0– कटैया, थाना– हरिहरगंज, जिला– पलामू ने 1. रामपुकार सिंह, 2. राम प्रवेश सिंह दोनो के पिता– नंदलाल सिंह, 3. विपुल कुमार सिंह पिता– राम प्रवेश सिंह, 4. राम नरेश सिंह, 5. उमेश सिंह दोनो के पिता– स्व0 भगत सिंह, 6. नंदलाल सिंह पिता– स्व0 अलियार सिंह सभी ग्राम + पो0– कटैया, थाना– हरिहरगंज, जिला– पलामू के विरूद्ध धारा 145 दं0प्र0सं0 अंतर्गत कार्रवाई हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया गया जिसके आलोक में इस कार्यालय के ज्ञापांक 973 दिनांक 21.09.2013 के द्वारा थाना प्रभारी, हरिहरगंज से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। थाना प्रभारी, हरिहरगंज ने ज्ञापांक 1096/13 दिनांक 02.11.2013 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किये। जाँच प्रतिवेदन में उभय पक्षों के बीच दखल– कब्जा के बिंदू पर स्थाई भू–विवाद हो जाने के कारण धारा 145 दं0प्र0सं0 लगाने की अनुशंसा किया गया है। विवादी भूमि का विवरण निम्न प्रकार है– ग्राम– कटैया, खाता

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
	सं0– 01, प्लॉट सं0– 200, रकबा– 0.11 एकड़, चौहद्दीः– उतर– रविन्द्र पाठक, दक्षिण– जनेश्वर सिंह, पूरब– अनिल सिंह, पश्चिम– सुबा महतो के लिये विवादी भूमि पर धारा 145 द0प्र0स0 के अन्तर्गत प्रकिया प्रारंभ कर उभय पक्षों को नोटिस निर्गत करते हुए दोनो पक्षों से लिखित कथन एवं प्रक्रिया अंतर्गत भूमि के वास्तविक दखल– कब्जे के सबूत में साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।
	इस न्ययालय द्वारा निर्गत नोटिस के आलोक में उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। उभय पक्ष कि ओर से लिखित कथन दाखिल किया गया। प्रथम पक्ष जवाब दाखिल करने के उरांत उनके न्यायालय में लगातार अनुपस्थित रहने के कारण इस वाद में एक पक्षिय कार्रवाई प्रारम्भ की गई। द्वितीय पक्ष द्वारा अपना लिखित जबाव दाखिल करते हुए अपना दस्तावेजीय एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया गया।
	प्रथम पक्ष के लिखित कथन का सार यह है कि वाद भूमि ग्राम– कटैया, थाना– हरिहरगंज, जिला– पलामू अंतर्गत खाता सं0– 1, प्लॉट सं0– 200, रकबा– 0.11 एकड़ से संबंधित है जिसकी चौहद्दी उतर– रविन्द्र पाठक, दक्षिण– जनेश्वर सिंह, पूरब– अनिल सिंह, पश्चिम– सूबा महतो है। प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष धारी महतो के वंशज हैं। वंशावली से प्रश्नगत भूमि पर प्रथम पक्ष का होना स्पष्ट होता है। वंशावली के अनुसार धारी महतो के चार पुत्र 1. जगमोहन महतो, 2. गणेश महतो, 3. महेश महतो 4. महिपत महतो थे। प्रश्नगत भूमि धारी महतो के नाम से न तो खतियानी भूमि है और न ही इनके नाम से खरिदगी, बल्कि प्रश्नगत भूमि प्रथम पक्ष के पिता स्व0 महिपत महतो को

(10)

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
2	3

भुतपूर्व जमीन्दार के द्वारा बंदोबस्ती से प्राप्त है। वे अपने जीवन काल तक शांतिपूर्ण दखल– कब्जा में रहे तथा उनके मृत्यु के उपरांत उनके वंशज (प्रथम पक्ष) का दखल– कब्जा चला आ रहा है।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने अपने कारण पृच्छा के अनुरूप बहस करते हुए बताया कि प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष धारी महतो के वंशज हैं जो कारण पृच्छा में अंकित वंशावली से द्वितीय पक्ष का दावा स्पष्ट होता है। धारी महतो के चारो पुत्रों का धारी महतो के संपति एवं भूतपूर्व जमीन्दार के द्वारा बंदोबस्ती से प्राप्त भूमि पर शांतिपूर्वक दखल– कब्जा एवं जोत– कोड़ रहा और धारी महतो के मृत्यु के बाद उनके चारो पुत्रों का दखल– कब्जा कायम हुआ। चारो पुत्रों में आपसी सुविधा के अनुसार बटवारा हुआ और बटवारा के आधार पर वाद भूमि पर द्वितीय पक्ष के पूर्वज दखल– कब्जा में आये तथा उनके मृतयु के उपरांत द्वितीय पक्ष का दखल– कब्जा चला आ रहा है। वाद भूमि पर प्रथम पक्ष का क्षण भर के लिए दखल– कब्जा नहीं रहा है।

द्वितीय पक्ष की ओर से चार साक्षियों का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जो इस प्रकार है:–

द्वितीय पक्ष साक्षि संख्या– 01 :– अजय सिंह पिता– नरेश सिंह, ग्राम– कटैया, थाना– हरिहरगंज, जिला– पलामू ने वाद भूमि पर द्वितीय पक्ष के दखल– कब्जा होने का दावा किया है।

द्वितीय पक्ष साक्षि संख्या– 02 :– रूपन महतो पिता– स्व0 मुनेश्वर महतो, ग्राम– कटैया, थाना– हरिहरगंज, जिला– पलामू ने वाद भूमि पर पुकार सिंह का दखल– कब्जा होने का दावा किया है।

(हस्ताक्षर) 27/12/18

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	कार्यालय टिप्पणी सहित
1	2	
	द्वितीय पक्ष साक्षि संख्या– 03 :– रामपुकार सिंह पिता– नन्दलाल सिंह, ग्राम– कटैया, थाना– हरिहरगंज, जिला– पलामू ने वाद भूमि पर द्वितीय पक्ष का दखल– कब्जा होने का दावा किया है। **द्वितीय पक्ष साक्षि संख्या– 04** :– नरेश सिंह पिता– स्व0 भागवत सिंह, ग्राम– कटैया, थाना– हरिहरगंज, जिला– पलामू के द्वारा वाद भूमि पर द्वितीय पक्ष का दखल कब्जा होने का दावा किया गया है। द्वितीय पक्ष की ओर से दाखिल जमीन्दारी मालगुजारी रसीद सं0– 91 को प्रदर्श– "A", जमीन्दारी मालगुजारी रसीद सं0– 20 को प्रदर्श– "A/1", जमीन्दारी मालगुजारी रसीद सं0– 99 को प्रदर्श– "A/2", जमीन्दारी मालगुजारी रसीद सं0– 100 को प्रदर्श– "A/3", जमीन्दारी मालगुजारी रसीद सं0– 97 को प्रदर्श– "A/4", महाराज कुमार बाबू गोपाल बक्स राय द्वारा निर्गत जमीन्दारी रसीद को प्रदर्श– "A/5" के रूप में अंकित किया गया है। द्वितीय पक्ष के मौखिक एवं दस्तावेजीय साक्ष्यों के अवलोकन एवं परिशीलन से यह न्यायालय इस निष्कर्श पर पहुँचती है कि विवादी भूमि पर प्रक्रिया प्रारम्भ होने कि तिथि से पूर्व द्वितीय पक्ष का दखल– कब्जा विद्यमान रहा है और इस प्रकार प्रक्रिया अंतर्गत भूमि पर द्वितीय पक्ष का दखल– कब्जा घोषित किया जाता है तथा प्रथम पक्ष के सदस्यों को प्रक्रिया अंतर्गत भूमि पर जाने से	

27/12/18

11

...ी क्रम ... और ...ख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पंणी तारीख सहित
	2	3
	तब तक के लिये रोक लगाई जाती है जब तक सक्षम न्यायालय के द्वारा अन्यथा कोई आदेश पारित न हो जाय। लेखापित एवं संशोधित। कार्यपालक दण्डाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)। कार्यपालक दण्डाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।	

Digitally signed by HEERA KUMAR
Date: 2024.07.19 20:30:16 +05:30
Location: 192.168.128.28